

**कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना लोदाम,
जिला जशपुर (छ0ग0)**

// विज्ञापन //

क्रमांक / 11/स्था0 / आई.सी.डी.एस / 2026-27

लोदाम, दिनांक - 11/05/2026

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक / 728 / 1098 / 2008 / मबावि / 50 रायपुर, दिनांक 02-04-2008 एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक / IT/830/2025-WCD HOD IT SETION IT नवा रायपुर, दिनांक 05.01.2026 के परिपालन में कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, परियोजना लोदाम, जिला-जशपुर (छ.ग.) के अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम पंचायत के ग्राम तथा पारे/टोले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के रिक्त पद हेतु योग्य महिला उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 11/05/26 से 29/05/26 तक ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन करने हेतु नवीन पोर्टल <https://aww.e-bharti.in> में पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी हेतु उक्त पोर्टल में उपलब्ध " उपयोगकर्ता मेनुअल " की सहायता ली जा सकती है।


नोट :- ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन के प्रिन्ट आउट सहित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर निर्धारित समय सीमा में परियोजना लोदाम में जमा करना अनिवार्य है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.	सेक्टर	ग्राम पंचायत	ग्राम	आंगनबाड़ी केन्द्र	पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	लोखण्डी	झोलंगा	घोराघाट	मुण्डाटोली	कार्यकर्ता
2	लोदाम	जुरतेला	ढोलडुबा	मांदरटांगा	सहायिका

आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता / सहायिका पद में नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताएं :-

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं का पद पूर्णता मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे शासन द्वारा निर्धारित मानेदय प्रतिमाह दिया जाएगा।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं का पद केवल महिलाओं के लिए होगा।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं के पद के लिए आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका / संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)। आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। ऐसी कार्यकर्ता / सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया हो उन्हें दुबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा।


परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
जशपुर - 2, (पतराटोली) जिला जशपुर (छ.ग.)

आवेदिका उसी ग्राम की निवासी हो, जहाँ आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। चूँकि मूल्यांकन पत्रक में उसी ग्राम के समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठता सूची तैयार की जावेगी। अतः आवेदिका उसी ग्राम की निवासी होनी चाहिए। जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है।

5. निवासी होने के संबंध में प्रमाण (1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर संबंधित ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची जिसमें उसके कमांक का उल्लेख हो, की सत्यापित प्रतिलिपि (सरपंच एवं सचिव दोनो द्वारा सत्यापित) लगायी जावे अथवा (2) ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित (दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य) अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम के पारा टोला में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।

टीप:- यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदिका के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।


6. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिका सक्षम अधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करने पर ही निर्धारित अंक की पात्रता होगी। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की वैधता छः माह की होती है अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैधता समाप्त न हुई हो तब ही मान्य है। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कक्षा 8 वीं का अंकसूची में ग्रेडिंग पध्दति में होने पर आवेदिका की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक से हस्ताक्षरित अंक तालिका आवेदन फार्म के साथ संलग्न करेंगे अंक तालिका स्कूल के रिकार्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग अंकसूची पर अंक प्रदाय नहीं किया जाएगा। अंक के अभाव में पदक्रम तैयार करने में कठिनाई होगी जिसके लिए आवेदिका स्वयं जिम्मेदार होंगे।

8. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :-

(1) कार्यकर्ता पद हेतु आवेदिका कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होंगी। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता की कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। उपरोक्तानुसार कार्यकर्ता पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

(1) सहायिका पद हेतु आवेदिका कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होंगी। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता की कोई आवेदिका न मिलने पर सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर पाँचवीं बोर्ड रखी जावेगी। उपरोक्तानुसार सहायिका पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर


Beegat
अधिकारी
एकीकृत बाह्य विकास सेवा परियोजना
खण्ड - 7 (पतराटोली) जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)



शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

9. अतिरिक्त अंक की पात्रता निम्नलिखित भातों पर होंगी –

(अ) अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका होने पर अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी। (अनुभव 1 वर्ष या उससे अधिक होने पर ही अंक देय है)।

(ब) गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (वर्तमान में गरीबी रेखा के प्रचलित 2011 की सूची ही मान्य होगी) इस प्रमाण पत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(स) अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8वीं तक अध्ययन करने का प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा।

(द) अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की महिला होने पर वैध जाति प्रमाण (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही अंक देय होगा।

(व) विधवा महिला होने पर पति के मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर ही अंक देय होगा।

(इ) परित्याक्ता के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर अंक देय होगा।

(उ) तलाक जुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति संलग्न करने पर ही अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।


10. ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ही अनंतिम मूल्यांकन पत्रक दावा आपत्ति हेतु जारी किया जावेगा। दावा आपत्ति केवल अनंतिम मूल्यांकन पत्रक पर ही लिया जावेगा, दावा आपत्ति के समय किसी भी प्रकार का कोई भी नया दस्तावेज नहीं लिया जावेगा। केवल दावा आपत्ति ही स्वीकार किया जाएगा।

11. समस्त दस्तावेज आवेदिका द्वारा स्व सत्यापित होना आवश्यक है एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठांकन किया जाना अपेक्षित है। आवेदिका के रिक्त पदों हेतु अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज निर्धारित तिथि 14/05/26 से 29/05/26 तक कार्यालय परियोजना अधिकारी बाल विकास सेवा परियोजना जशपुर, जिला-ज पुर(छ.ग.) में निर्धारित समय सीमा भाम 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्ट आउट एवं संलग्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करें।

12. कक्षा आठवीं का अंकसूची मान्यता प्राप्त बोर्ड का होना अनिवार्य है।

13. यदि आवेदिका विवाहित है तो विवाह पश्चात नाम/मध्यनाम/उपनाम में हुए परिवर्तन का भापथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

14. अनुभव हेतु संबंधित परियोजना के परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा।


आधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
जशपुर - 2, (पतखटेली) जिला जशपुर (छ.ग.)

5. सभी प्रकार के प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के प्रिन्ट आउट सहित संलग्न कर निर्धारित समयावधि में जमा करें।

16. नियुक्ति पत्र चात या प्रस्तुत आवेदन के छानबीन में कोई दस्तावेज कूटरचित, जाली अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध बिना कोई पूर्व सूचना के वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आवेदिका स्वतः जावबदेय होंगे।

17. आवेदिका भातों को भली-भांति पढ़कर आवेदन करें। आवेदन जमा हो जाने के पचात कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं।



(योगेश भगत)

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
लोदाम, जिला-जशपुर (छ.ग.)

लोदाम, दिनांक- 11/05/26

पृ0क्र0 / 50 / स्था. / आई.सी.डी.एस / 2026-27

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय, जिला - जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला रोजगार अधिकारी जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु)।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। (सूचना कार्य हेतु)।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु)।
8. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड जशपुर जिला - जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
9. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड लोदाम जिला - जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. सर्व पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जशपुर को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।
11. संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत विकास खण्ड जशपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। (चस्पा एवं मुनादी हेतु)।



(योगेश भगत)

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
लोदाम, जिला-जशपुर (छ.ग.)